विषय :—वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध प्रतिवेदनों पर रिपोर्टिंग आफिसरज द्वारा टिप्पणी (Comments) देने के लिये निर्धारित अवधि ।

क्या वित्तायुक्त राजस्व, जन स्वास्थ्य, तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव, उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

2. सरकार के नोटिस में आया है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किये गये प्रतिवेदनों पर रिपोर्टिंग आफिसरज अपनी टिप्पणी (Comments) बहुत अधिक देरी से भेजते हैं या भेजते ही नहीं । इन परिस्थितियों में ऐसे प्रतिवेदन अनावश्यक तौर पर बहुत लम्बे समय तक लम्बित पड़े रहते हैं जो कि प्रशासकीय दृष्टि से वांछनीय नहीं है । अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में जब ऐसे प्रतिवेदन Reporting Officer (s) को टिप्पणी देने के लिये भेजे जायें तो Reporting Officer (s) अपनी टिप्पणी सन्दर्भ के प्राप्त होने के एक मास (30 दिन) के अन्दर-अन्दर मुकम्मल तौर पर सम्बन्धित विभाग को अवश्य भेज दें अन्यथा प्रकल्प कर लिया जावेगा कि उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं कहना हैं ।

3. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उपरोक्त निर्धारित अवधि के अन्दर यदि Reporting Officer (s) के Comments प्राप्त न हों तो ऐसे प्रतिवेदनों में दिये गये तथ्यों को सम्बन्धित विभाग/विभागों में उपलब्ध रिकार्ड से Verify करवा लेने के पश्चात उनकी जांच गुण व दोष के आधार पर कर ली जाया करें और मामले में अन्तिम निर्णय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के तीन मास के अन्दर ले लिया जाया करें ।

4. इन हिदायतों को दृढ़ता पूर्वक अनुपालनार्थ कृपया सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाये ।

5. कृपया इसकी पावती भेजें ।

हस्ता/—
प्रेम नाथ टंडन
अवर सचिव, प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

वित्तायुक्त राजस्व/जन स्वास्थ्य तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशा० क्रमांक 30/127/78-एस (1), दिनांक चण्डीगढ़ 21-12-1978

एक एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्षों/आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल/हरियाणा के सभी उपायुक्तों तथा उप मण्डल अधिकारियों (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।